ANTAR

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ,जिला–झुझुंनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या नये–169/2016
जीसीएमएस नं. 2016/00560

(महावीर प्रसाद बनाम जगदीश वगै0)

वाद :– घोषणार्थ,दुरूस्ती रिकार्ड,विभाजन,स्थाई निषेधज्ञा
प्रार्थना पत्र – आदेश 01 नियम 10,151 सीपीसी
(प्रस्तुत प्रा. पत्र पुनम व वन्दना तथा सन्तोष व भंवरी दोनो का एक साथ व प्रा. पत्र 02.12.2024)

वकील वादी/अप्रार्थी–श्री चन्द्रकान्त शर्मा
वकील प्रतिवादी/प्राथीगण (अप्रार्थी)– श्री विप्लव पण्डित

आदेश

दिनांक 24.03.2025

प्रकरण में वकील आवेदक द्वारा दो प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 01 नियम 10,151 सीपीसी के तहत पेश किये गये है। एक प्रा. पत्र आवेदिका श्रीमती सन्तोष देवी स्त्री शुभकरण चौधरी जाति जाट निवासी टोंकछिलरी तह. नवलगढ तथा श्रीमती भंवरी देवी स्त्री पन्ने सिंह जाति जाट निवासी टोंकछिलरी तह. नवलगढ द्वारा इस कदर पेश किया कि,ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नं. 118 रकबा 1.50 है0, खसरा नं. 119 रकबा 2.73 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.23 है0 स्थित है जिसके पहले खातेदार काश्तकार ओमप्रकाश पुत्र उंकारमल जाति चोपदार था इस भूमि में उसका 4/5 हिस्सा था उसने जरिये मुख्त्यार मदनलाल सेवदा अपना 4/5 हिस्सा श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी शुभकरण चौधरी व श्रीमती भंवरी देवी धर्मपत्नि पन्ने सिह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2006 को विक्रय कर दिया जिसका इन्तकाल नम्बर 259 क्रेतागण के नाम तस्दिक हो चुका है इस प्रकार से उक्त क्रेतागण इस वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है। इसी प्रकार ग्राम ढाका की ढाणी पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नं. 120 रकबा 2.41 है0 जिसके 4/5 हिससे के काबिज खातेदार जगदीश प्रसाद पुत्र उंकारमल जाति चोपदार था उसने जरिये अपने मुख्त्यार मदनलाल सेवदा उक्त अपना 4/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2006 को श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी शुभकरण चौधरी व भंवरी देवी पत्नी पन्ने सिंह जाति जाट निवासी टोंकछिलरी को विक्रय कर दी, जिसका इन्तकाल नं. 258 भी क्रितागण के नाम तस्दीक हो चुका है इस प्रकार उक्त क्रेतागण इस वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है। यह है कि, प्रार्थीगण उक्त भूमि में सद्भावी क्रेता है प्रार्थीगण क्रेता वाद की विषयवस्तु में हित व रूचि रखती है। वाद के प्रभावशाली निर्णय व मुकदमों की बहुलता नही बढे इस कारण भी प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार से प्राथीगण प्रोपर पार्टी है वाद में पक्षकार बनाया जावे, क्योकि वाद में विवादित भूमि व वाद की विषयवस्तु में उक्त खसरा नं. भी शामिल कर रखे है इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त वाद में पक्षकार बनाया जावे। इसके साथ ही वकील आवेदक ने पत्रावली में प्रस्तुत प्रा. पत्र दिनांक 02.12.2024 का हवाला देते हुये कहा कि संतोष देवी को पक्षकार संयोजित करने के लिये उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया गया था, अब प्रार्थीया संतोष देवी की मृत्यु हो चूकी है अतः उसके स्थान पर उसके वारिसान प्रार्थीगण सुनील चौधरी पुत्र शुभकरण व संतोष देवी जाति जाट निवासी हाल सी 74 अम्बावाडी जयपुर तथा दीक्षा पुत्री शुभकरण व संतोष देवी जाति जाट निवासी टौंकछिलरी तह. नवलगढ को पक्षकार संयोजित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनूं)

एक प्रा. पत्र आवेदिका श्रीमती पूनम चौधरी पत्नी श्री सुनील चौधरी जाति जाट निवासी सी–74 अम्बाबाडी जयपुर जिला जयपुर व श्रीमती वन्दना चौधरी पत्नी श्री मनीष चौधरी जाति जाट निवासी सी–74 महर्षि अरविन्द कॉलेज के पास, अम्बावाडी जयपुर द्वारा इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद में भूमि खसरा नं. 123 रकबा 0.98 है0 स्थित है जिसका पहले खातेदार काश्तकार महेश कुमार पुत्र घासीराम जाति माली निवासी कस्बा नवलगढ हाल आबाद 01 विकास भवन अयोध्या बस्ती जयपुर था इस भूमि में उसका 3/4 हिस्सा था जिसने अपना 3/4 हिस्सा दिनांक 07.02.2020 को प्रार्थीगण श्रीमती पूनम चोधरी एंव श्रीमती वन्दना चौधरी को विक्रय कर दिया है इस प्रकार प्रार्थीयागण इस वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है। यह है कि, ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 118 रकबा 1.50 है0, खसरा नं. 119 रकबा 2.73 है0 स्थित है जिसका पहले खातेदार ओमप्रकाश पुत्र श्री औकारमल जाति माली निवासी कस्बा नवलगढ हाल बीकानेर था। इस भूमि में उसका 1/5 हिस्सा था जिसने जरिये मुख्तयार आन्नद कुमार अपना 1/5 हिस्सा दिनांक 07.02.2020 को प्रार्थीयागण श्रीमती पूनम चौधरी एंव श्रीमती वन्दना चौधरी को विक्रय कर दिया है इस प्रकार प्रार्थीगण इस वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है। यह है कि ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 113 रकबा 0.46 है0 खसरा नं. 114 रकबा 0.61 है0, खसरा नं. 116 रकबा 0.15 है0 स्थित है। जिसका पहले खातेदार दिनेश कुमार जोशी पुत्र शुभकरण जोशी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम झाझड था जिसका इस भूमि कें 2/3 हिस्सा था जिसने अपना 2/3 हिस्सा दिनांक 07.02.2020 को प्रार्थीगण श्रीमती पूनम चौधरी तथा श्रीमती वन्दना चौधरी को विक्रय कर दिया इस प्रकार प्रकार से प्रार्थीगण इस वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है। यह है कि ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 113 रकबा 0.46 है0, खसरा नं. 114 रकबा 0.61 है0, खसरा नं. 116 रकबा 0.15 है0 स्थित है , जिसमें राजेश देवी पत्नी महेश कुमार जाति माली निवासी कस्बा नवलगढ हाल आबाद 01 विकास भवन अयोध्या बस्ती जयपुर का 1/24 हिस्सा था तथा ग्राम ढाका की ढाणी की सरहद में खसरा नं. 115 रकबा 0.01 है0 खसरा नं. 117 रकबा 2.83 है0 स्थित है जिसमें राजेश देवी पत्नी महेश कुमार जाति माली निवासी कस्बा नवलगढ हाल आबाद 01 विकास भवन अयोध्या बस्ती जयपुर का 3/4 हिस्सा था जिसने अपना उपरोक्त 1/4 व 3/4 हिस्सा दिनांक 07/02/2020 को प्रार्थीगण श्रीमती पूनम चौधरी व श्रीमती वन्दना चौधरी को विक्रय कर दिया इस प्रकार प्रार्थीयागण इस वाद में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार है। यह है कि, प्रार्थीगण उक्त भूमि में सद्भावी केता है प्रार्थीगण केता वाद की विषयवस्तु में हित व रूचि रखती है। वाद के प्रभावशाली निर्णय व मुकदमों की बहुलता नही बढे इस कारण भी प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार है। इस प्रकार से प्राथीगण प्रोपर पार्टी है वाद में पक्षकार बनाया जावे, क्योकि वाद में विवादित भूमि व वाद की विषयवस्तु में उक्त खसरा नं. भी शामिल कर रखे है इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त वाद में पक्षकार बनाया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो अन्तवर्तिय प्रा. पत्रों का जवाब क्रमशः निम्न प्रकार से दिया गया :–

अप्रार्थीगण द्वारा संतोष देवी व भंवरी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्रों के जवाब में निवेदन किया कि, भूमि खसरा नं. 118 तादादी 1.50 है0, खसरा नं. 119 रकबा 2.73 है0 वाके ग्राम ढाका की ढाणी स्थित होना विवादित नही है। उक्त जमीन व अन्य जमीनों के बाबत् उक्त उनवानी दावा सन् 1999 से न्यायालय श्रीमान् में लम्बित है जिसमे न्यायालय श्रीमान् द्वारा दावा में विवादित जमीन के बाबत् स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त दावा के लम्बित रहते यदि प्रार्थीगण ने दावा के किसी पक्षकार से किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत करवाया है तो ऐसा प्रार्थीगण का कृत्य न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार दावा के लम्बन के दौरान पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत Doctorine of lis- pendence से प्रभावित होने से प्रार्थीगण के हक मे पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2006 अवैध व निष्प्रभावी है। धारा 2 प्रा. पत्र में भूमि खसरा नं. 120 तादादी 2.41 है0 वाके ग्राम ढाका की ढाणी स्थित

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

होना विवादित नही है। उक्त जमीन व अन्य जमीनों के बाबत् उक्त उनवानी दावा सन् 1999 से न्यायालय श्रीमान् में लम्बित है जिसमे न्यायालय श्रीमान् द्वारा दावा में विवादित जमीन के बाबत् स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त दावा के लम्बित रहते यदि प्रार्थीगण ने दावा के किसी पक्षकार से किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत करवाया है तो ऐसा प्रार्थीगण का कृत्य न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार दावा के लम्बन के दौरान पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत Doctorine of lis-pendence से प्रभावित होने से प्रार्थीगण के हक मे पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2006 अवैध व निष्प्रभावी है। धारा 3 जिस प्रकार से दर्ज है स्वीकार नही है यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण बोनाफाईड परजेजर हो। उपर दिये गये जवाब के अनुसार कथित विक्रय पत्र धारा 52 सम्पति स्थानान्तरण अधिनियम के प्रावधानों से हिट होने से अवैध व निष्प्रभावी है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दावा में आवश्यक पक्षकार होने का प्रश्न ही नही है पश्चातवर्ती क्रेता लम्बित दावा के निर्णय व डिक्री से बाध्य है इसलिये प्रार्थीगण के दावा में पक्षकार होने का प्रश्न ही नही है। इसलिये प्रा. पत्र पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है।

इस प्रकार से पूनम चौधरी व वन्दना चौधरी की और से पेश प्रा.पत्र आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी का जवाब वादी/अप्रार्थी की और से निम्न प्रकार से पेश हैः—

प्रा. पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खसरा नं. 123 स्थित होना विवादित नही है। उक्त जमीन व अन्य जमीन के बाबत् उनवानी दावा सन् 1999 से श्रीमान् के न्यायालय में लम्बित है जिसमे श्रीमान के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त दावा के लम्बित रहते यदि प्रार्थीगण ने दावा के किसी पक्षकार से किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत करवाया है तो ऐसा प्रार्थीगण का कृत्य न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार दावा के लम्बन के दौरान पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत Doctorine of lis- pendence से प्रभावित होने से प्रार्थीगण के हक मे पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2020 अवैध व निष्प्रभावी है। ये लोग ना तो आवश्यक पक्षकार है ना ही प्रोपर पक्षकार है तथा यह भी गलत है कि इसके हक मे नामान्तकरण तस्दीक हो गया है, नामान्तकरण प्रक्रियाधीन है। यह है कि प्रा. पत्र कि धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा नं. 118,119 स्थित होना विवादित नही है। उक्त जमीन व अन्य जमीन के बाबत् उनवानी दावा सन् 1999 से श्रीमान् के न्यायालय में लम्बित है जिसमे श्रीमान के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त दावा के लम्बित रहते यदि प्रार्थीगण ने दावा के किसी पक्षकार से किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत करवाया है तो ऐसा प्रार्थीगण का कृत्य न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार दावा के लम्बन के दौरान पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत Doctorine of lis- pendence से प्रभावित होने से प्रार्थीगण के हक मे पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2020 अवैध व निष्प्रभावी है। ये लोग ना तो आवश्यक पक्षकार है ना ही प्रोपर पक्षकार है तथा यह भी गलत है कि इसके हक मे नामान्तकरण तस्दीक हो गया है, नामान्तकरण प्रक्रियाधीन है। यह है कि प्रा. पत्र की धारा 3 गलत होने से अस्वीकार है ग्राम ढाका की ढाणी के खसरा नं. 113,114,116 होना विवादित नही है। उक्त जमीन व अन्य जमीन के बाबत् उनवानी दावा सन् 1999 से श्रीमान् के न्यायालय में लम्बित है जिसमे श्रीमान के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त दावा के लम्बित रहते यदि प्रार्थीगण ने दावा के किसी पक्षकार से किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत करवाया है तो ऐसा प्रार्थीगण का कृत्य न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार दावा के लम्बन के दौरान पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत Doctorine of lis- pendence से प्रभावित होने से प्रार्थीगण के हक मे पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2020 अवैध व निष्प्रभावी है। ये

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

लोग ना तो आवश्यक पक्षकार है ना ही प्रोपर पक्षकार है तथा यह भी गलत है कि इसके हक मे नामान्तकरण तस्दीक हो गया है, नामान्तकरण प्रक्रियाधीन है। यह है कि धारा 4 गलत होने से अस्वीकार है ग्राम ढाका की ढाणी के खसरा नं. 113,114,115,116,117 विवादित नही है। उक्त जमीन व अन्य जमीन के बाबत् उनवानी दावा सन् 1999 से श्रीमान् के न्यायालय में लम्बित है जिसमे श्रीमान के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है। उक्त दावा के लम्बित रहते यदि प्रार्थीगण ने दावा के किसी पक्षकार से किसी भी प्रकार से विक्रय पत्र अपने हक में पंजीकृत करवाया है तो ऐसा प्रार्थीगण का कृत्य न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवमानना की श्रेणी में आता है तथा इस प्रकार दावा के लम्बन के दौरान पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र सम्पति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत Doctorine of lis- pendence से प्रभावित होने से प्रार्थीगण के हक मे पंजीकृत करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2020 अवैध व निष्प्रभावी है। ये लोग ना तो आवश्यक पक्षकार है ना ही प्रोपर पक्षकार है तथा यह भी गलत है कि इसके हक मे नामान्तकरण तस्दीक हो गया है, नामान्तकरण प्रक्रियाधीन है। यह है कि प्रा. पत्र कि धारा 5 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थीगण भूमि के केता है यह भी गलत है कि प्राथीगण बोनाफाईड परचेजर है। उपर दिये गये जवाब के अनुसार तथा कथित विक्रय पत्र धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होने से अवैध व निष्प्रभावी है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रस्तुत दावा में आवश्यक पक्षकार होने का प्रश्न ही नही है। पश्चातवर्ती केता लम्बित दावा के निर्णय व डिक्री से बाध्य है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा. पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

प्रा. पत्र के सम्बन्ध वकील उभय पक्ष द्वारा बहस पेश की गई जो बगौर सुनी गई। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने अपने दोनो प्रा. पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा की, प्रार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेजों से क्रय किया है तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 06.02.2020 में बोनाफाईड परचेजर माना है। भूमि क्रय करते समय स्थगन आदेश प्रभावी नही था। केतागण का वाद मे प्रत्यक्ष हित है, जिसके बिना प्रभावित डिक्री जारी नही की जा सकती है। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण अपनी दलीलों के सम्बन्ध में RLW 2005 (1) RJ 109, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कि निगरानी/टिए/ 128/2001/झुझुंनू निर्णय दिनांक 30 अप्रेल 2004 उनवानी रामोतार बनाम कौमसिंह व अन्य, RLW 2006 (2) RJ 1329, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कि निगरानी/टिए/467/2006/सीकर निर्णय दिनांक 01 फरवरी 2006 उनवानी श्यामाराम बनाम श्रीमती जमना देवी व अन्य,RLW 2006 (1) RJ 277, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर कि निगरानी/टिए/71/2003/बीकानेर निर्णय दिनांक 30 सितम्बर 2005 उनवानी मालाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य, RLW 2007 (2) RJ 843, माननीय सर्वोच्चय न्यायालय कि सिविल अपील सं. 262/2007 निर्णय दिनांक 17 जनवरी 2007 उनवानी धनलक्ष्मी व अन्य बनाम पी. मोहन व अन्य, तहसीलदार नवलगढ का आदेश की प्रति, राजस्व अपील अधिकारी का आदेश की प्रति ,जमाबन्दियों की प्रतियां इत्यादी पेश करते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाकर तथा प्रा. पत्र दिनांक 02.12.2024 का हवाला देते हुये प्रार्थीया श्रीमती संतोष की फौत होने पर उसके वारिसान प्रार्थीगण सुनील चौधरी पुत्र शुभकरण व संतोष देवी जाति जाट निवासी हाल सी 74 अम्बावाडी जयपुर तथा दीक्षा पुत्री शुभकरण व संतोष देवी जाति जाट निवासी टौंकछिलरी तह. नवलगढ को पक्षकार संयोजित किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी/अप्रार्थीगण ने दोनो प्रा.पत्रों के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि, यह वाद 1999 से करीब 26 वर्षो से चल रहा है, दौराने वाद कोई विक्रय होता है तो वह धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत निष्प्रभावी होती है, प्रार्थीगण सदभावी केता नही है इसलिये उनका कोई अधिकार पैदा नही होता और न ही आवश्यक पक्षकार है। वकील वादी/अप्रार्थीगण ने अपनी दलीलों व तर्को के सम्बन्ध में WLC 2007 (2) Page no. 256, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील सं. 5662/2006 निर्णय दिनिांक 08.12.2006 उनवानी संजय वर्मा बनाम मनिक रॉय वगै0, WLC (Raj) 2009 (5) Page no. 692, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

4895/2009 निर्णय दिनांक 15.05.2009 उनवानी सुरेन्द्र सिंह बनाम विश्वनाथ व अन्य ,WLC (Raj) 2008 (6) Page no. 864, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 2235/2007 निर्णय दिनांक 15.09.2008 उनवानी कोयली बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान, DNJ (Raj) 2012 (2) Page no. 1054, DNJ (Raj) 2012 (2) Page no. 1041 इत्यादी बतौर नजीर पेश हुये प्रा. पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत नजीरों, दस्तावेजो तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी भली भॉति अवलोकन किया गया। यह प्रकरण घोषणार्थ,दुरूस्ती रिकार्ड,विभाजन,स्थाई निषेधज्ञा का है। विद्वान वकुलान द्वारा प्रस्तुत नजीरों की रोशनी में यह स्पष्ट जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जमीन/भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय करके आने से तथा उक्त भूमि का विवाद होने से तथा इस भूमि में अब क्रेता ही हैसियत से उनका हक व हित होने से पक्षकार बनने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत/प्रा. पत्र पेश किया है। यह जाहिर है कि, प्रार्थीगण द्वारा भूमि क्रय करने के द्वौरान किसी न्यायालय का स्थगन प्रभावी नही था और भूमि क्रय करने से प्रार्थीगण को विधिक अधिकार उत्पन्न हुये है। प्रार्थीगण सद्भावी क्रेता (अंशधारक) होने से विभाजन के वाद मे आवश्यक व उचित पक्षकार है। विवादित भूमि में अंशधारक होने से इनका हित निहित है, इस बात से इनकार भी नही किया जा सकता है। किसी भी घोषणा,दुरूस्ति व विभाजन के वाद के सही व अन्तिम निस्तारण हेतु किसी भी व्यक्ति का जिसका वाद मे हित निहित हो पक्षकार बनने का अधिकारी है, ताकी भविष्य मे किसी प्रकार से वाद की बाहुलता उत्पन्न नही हो। वैसे भी प्रकरण का निस्तारण/अन्तिम निर्णय, हितबद्व पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर ,वाद में साक्ष्य व अन्तिम बहस सुनने के उपरान्त गुणावगुण पर होना है। यह न्यायालय भी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित समझता है, इसलिये आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व धारा 151 मे तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो प्रा. पत्र तथा वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संदर्भित प्रा. पत्र दिनांक 02.12.2024 भी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनो प्रा. पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के तहत तथा संदर्भित प्रा. पत्र दिनांक 02.12.2024 पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा श्रीमती पूनम चौधरी पत्नी श्री सुनील चौधरी जाति जाट निवासी सी–74 अम्बाबाडी जयपुर जिला जयपुर को बतौर प्रतिवादी सं. 09 व श्रीमती वन्दना चौधरी पत्नी श्री मनीष चौधरी जाति जाट निवासी सी–74 महर्षि अरविन्द कॉलेज के पास, अम्बावाडी जयपुर को बतौर प्रतिवादी सं. 10, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी पन्ने सिंह जाति जाट निवासी टोंकछिलरी तह. नवलगढ को बतौर प्रतिवादी सं. 11, श्री सुनील चौधरी पुत्र श्री शुभकरण व संतोष देवी निवासी हाल सी 74 अम्बावाडी जयपुर को (प्रार्थीया श्रीमती संतोष देवी की फौत होने पर उनके वारिसान) बतौर प्रतिवादी सं.12 तथा दीक्षा पुत्री श्री शुभकरण व संतोष देवी जाति जाट निवासी टौंकछिलरी तह. नवलगढ को (प्रार्थीया श्रीमती संतोष देवी की फौत होने पर उनके वारिसान) बतौर प्रतिवादी सं. 13 पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी को आदेश दिया जाता है कि, निर्धारित समय में संशोधित शीर्षक पेश न्यायालय करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। निर्णय आज दिनांक 24/03/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/3/25

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ